P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11* February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारतीय अर्थव्यवस्था में बीमा उघोग की बढ़ती भूमिका

विरेन्द्र सिंह मटसेनिया
सहायक आचार्य,
अर्थ शास्त्र विभाग,
डॉ. एच.एस.गौर विश्वविद्यालय,
सागर, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में बीमा क्षेत्र की शुरूआत वर्ष 1818 में हुई जब अंग्रेजी सरकार द्वारा अंग्रेजी शासकों का बीमा करने के लिये कलकत्ता में ऑरियन्टल लाईफ इंन्श्योरेंस कंम्पनी की स्थापना की थी। पूरे भारत में बीमा उद्योग को बढाने के लिये सन् 1823 में मुंबई में,तथा सन् 1829 मे मद्रास में, बीमा कंम्पनीयो की स्थापना की गई थी। इन कंम्पनियां की खास विशेषता यह थी कि ये कंम्पनियाँ केवल अंग्रेजो का ही बीमा करती थी और भारतीयों का बहुत कम संख्या मे बीमा करती थी। जिसके कारण भारतीयों में अंग्रेजी बीमा कंपनियों के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रही । भारतीयो में बीमा के प्रति जागरूक बढ़ने लगीं । इसके बाद भारत में बीमा उद्योग को स्थापित करने के लिये वर्ष 1870 में भारतीय कंम्पनियों को जन्म दिया गया । फिर धीरे–धीरे भारतीय कंम्पनियो की संख्या लगातार बढ़ने लगी, और बीमा क्षेत्र तेजी से विकास करने लगा,सन् 1905 में देशभर में स्वदेशी आंन्दोलन तेजी से चला, इसके चलते देशी बीमा कंम्पनियों की स्थापन मैं तेजी आने लगी। भारत में सन् 1912 में पहला बीमा अधिनियम पारित किया गया,अब भारत में बीमा कारोबार अधिक व्यवस्थित तथा चरणबद्ध ढ़ग से आगे बढ़ने लगा और भारतीयो में इसी दौरान देश की आजादी के लिए तीव्र जोश जाग्रत हो रहा था इसलिए भारतीय अनेक जनजाग्रति आंदोलन चला रहे थे इनमे राष्ट्रीय जनचेतना एवं स्वदेशी आंदोलन प्रमुख थे। इन आंदोलनो के कारण ही भारत में भारतीय बीमा कंम्पनियों का कारोबार दिन–दूना रात चौगुना होता चला गया। भारत में बीमा उघोग की प्रगति सबसे अधिक द्वित्तीय विश्व युद्ध के पूर्व की अवधि में हुई ,इसलिए इस काल अवधि को बीमा उघोग का स्र्वगयुग कहा जाता है क्योंकि वर्ष 1928 में 80 स्थानों पर बीमा कार्यालय स्थापित किये थे,जो वर्ष 1938 तक की दस वर्ष की अवधि में कार्यालयों की संख्या बढ़कर 280 हो गई।स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बीम उघोग की सुसंगठित तथा सुव्यविस्थित करने के लिए भारत सरकार ने 19 जनवरी 1956 एक अध्यादेश के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया इसमें 245 भारतीय तथा विदेशी बीमा कम्पनियो को सम्मलित किया गया।

मुख्य शब्द : नागरिक, निजीकरण, प्रतियोगिता, बीमा, उघोग, अध्यादेश, स्थापना, सरकार, अधिनियम।

प्रस्तावना

सितम्बर 1956 में पाँच करोड रूपये की भारत सरकार की पूँजी के साथ "भारतीय जीवन बीमा निगम" जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी के स्लॉगन साथ स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया,और वर्तमान में 08 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 सम्भागिय कार्यालय, 2048 शाखायें, 1430 दूरस्थ कार्यालय, 1227 सुक्ष्म कार्यालय, 111979 कर्मचारी एवं 1148811 अभिकर्ता कार्यरत है। जो जीवन बीमा का कार्य संम्पन्न करते है। भारतीय जीवन बीमा के भारत देश के अतिरिक्त अन्य देशो जैसे नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, ब्रिटेन, तथा फिजी में भी कार्यालाय स्थापित है। भारत में कार्यरत समस्त सामान्य बीमा कंम्पनियों का प्रबंध 1971 से सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और 1 जनवरी 1973 को सरकार ने सामान्य बीमा कंम्पनियों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के तहत कर दिया। 107 कंम्पनियों को मिलाकर चार प्रमुख कंम्पनियों में बांट दिया इनके नाम इस प्रकार है –

1. नेशनल इंन्सोरेंस कंम्पनी लिमिटेड
2. न्यू इंण्डिया इंन्सोरेंस कंम्पनी लिमिटेड
3. ऑरियन्टल इंन्सोरेंस कंम्पनी लिमिटेड
4. यूनाईटेड इंण्डिया इंन्सोरेंस कंम्पनी लिमिटेड

इन कंम्पनियों के मुख्यालय क्रमाशः कोलकत्ता,मुबंई,नई दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किये गये। देश में तेजी से हो रहे उदारीकरण, निजीकरण के चलते वर्ष 2000 में भारतीय सामन्य बीमा निगम की चारो सहायक कंम्पनियों को अलग अलग करते हुए उन्हे स्वायत्तता प्रदान करते हुए,उन्हे स्वतंत्र कंम्पनी घोषित किया गया। इसके साथ ही सामान्य बीमा निगम को राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंम्पनी का नाम दिया गया। इसके साथ ही एक प्रमुख बदलाव यह किया गया कि देश में पूर्व से चला आ रहा "कन्ट्रोलर ऑफ इंन्सोरेंस" के स्थान पर देश की बीमा कंम्पनियों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1999 मे भारतीय बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण–(IRDA) इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थिति है। का गठन किया गया। इसके गठन का उद्देश्य निजी बीमा कंम्पनियों के निवेशको के हितो की रक्षा के साथ–साथ बीमा कंम्पनियों पर नियंत्रण और बीमा व्यापार के नियमन के लिए किया गया। इसकी स्थापना से सरकारी व निजी बीमा कंम्पनियों का नियमन और नियंत्रण ठीक से हाने लगा।

अध्ययन के उददेश्य

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय जीवन बीमा कंपनी की भूमिका का पता लगाना ।
2. भारतीय जीवन बीमा कंपनी का एक उद्योग के रूप में भूमिकाओं का पता लगाना ।

शोध पद्धति

शोध पत्र में हमने द्वितीयक आकडो का प्रयोग किया गया है शोध को बहुत अधिक प्रभावी बनाने के लिए तालिकाओं की सहायता ली गयी हैं। यहां इस बात का उल्लेख करना ठीक होगा, कि बीमा नियमन विकास प्राधिकरण की वही भूमिका है जो भूमिका टेलीकॉम के क्षेत्र मे TRAI, बैकिंग व्यवसाय के क्षेत्र मे RBI, (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 1935) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में AICTI,(आल इण्डिया काउंसिल तकनीकि शिक्षा) समाचार–पत्रों व एजेन्सियों के लिए भारतीय प्रेस परिषद,फिल्मी क्षेत्र में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड,नामक संस्था की है। IRDA द्वारा बीमा कंम्पनियो को अपना कारोबार को शुरू करने हेतु लाइसेंस देने से लेकर उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने व बीमा उपभोक्ताओं या निवेशको के धन की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय भी करने का अधिकार है। इस प्रकार हम कहे,कि बीमा कंम्पनियो की एक–एक हरकत पर IRDA पैनी नजर रखता है, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। IRDA को दुनिया भर मे सबसे कठोर नियंत्रणकरता एजेन्सी के रूप में जाना जाता है,क्योकि IRDA के लिए ग्राहकों के हित ही सबसे बढ़कर है उसके निर्णय समान्यतः ग्राहक हित में ही होते है।

उपभोक्ताओं द्वारा निवेशित धन राशि की व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा कंम्पनियों के लिए "साल्वेंजी मार्जिन" के निर्धारण की व्यवस्था रखी गई है, साल्वेंजी मार्जिन एक ऐसी व्यवस्था है जो यह प्रदर्शित करती है कि बीमा कंम्पनि आपातकालीन स्थिति में अपने निवशको की राशि को कहां तक सुरक्षित रख सकती है,उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी बीमाकंम्पनि से एक लाख रूपये का जीवन बीमा करवाता है तो उस बीमा कम्पनी को 1.5 लाख रूपये का सॉल्वेंसी मार्जिन रखना होता है, इस राशि का प्रयोग बीमा कम्पनी द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था का प्रचलन इसलिए ओर बढ़ गया है क्योंकि बीमा क्षेत्र की कम्पनियों का प्रवेश तेजी से हो रहा है। इसलिए IRDA ने सॉल्वेंसी मार्जिन को 150 फीसदी कर दिया। भारत में वर्तमान बीमा उघोग में 27 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। 30 जून 2008 IRDA में एक पुनर्बीमा कम्पनी, 20 कम्पनी बीमा क्षेत्र में, और 21 कम्पनियों सामान्य बीमा क्षेत्र में दर्ज है इस प्रकार 41 बीमा कम्पनियां पंजीकृत है इन सभी कंम्पनियों में आपस में घोर प्रतियोगिता है प्रत्येक कंम्पनी अपना विस्तार भारत के कोन कोन मे कर रही है। इन सभी बीमा कंम्पनियों के द्वारा अनेक पवित्र उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इनका प्रधान उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बेहतर जीवन कवच प्रदान कराना, आधारभूत संरचना के लिए वित का पोषण करना। 1998 से बीमा क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, निजीकरण का मूल्य उद्देश्य भी नागरिकों को बेहतर सुरक्षा कवच प्रदान कराना ही है। समय समय पर बीमा विशेषज्ञों जैसे आर0 एन0 मल्होत्रा से लेकर रंगाचारी जैसे विशेषज्ञों के सुझाव को अमल में लाकर बीमा उघोग को तरक्की पर पहुँचाना है। बीमा क्षेत्र में विदेशी कंम्पनियां भी अपना पैर जमाना चाहती है, लेकिन अभी तक विदेशी कम्पनियों का भारत में प्रवेश की प्रत्यक्षतः अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन वह भारतीय कंम्पनियों के साथ मिलकर बीमा कारोबार कर सकती है, वर्ष 1998 में उदारीकरण के चलते केवल विदेशी कम्पनियों को स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र मे व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई थी,लेकिन बाद में अन्य क्षेत्रों मे भी अनुमति प्रदान कर दी गई। इसलिए आज भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में अपने प्रतिनिधि कार्यलय खोलती जा रही है। वर्तमान में भारत सरकार निजी क्षेत्र को 26 प्रतिशत से बडाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है। विदेशी निवेश की हिस्सेदारी के साथ बीमा क्षेत्र में उतने की अनुमति है। इसके साथ ही अनिवासी भारतीय विदेशी कम्पनियों और विदेशी कार्पोरेट को 14 प्रतिशत अतिरिक्त इक्विटी का प्रावधान किया गया है। जबकि विदेशी कंम्पनियाँ साझा उघमों में 49 प्रतिशत की भागेदारी चाहती है। और कम्पनी विशेष में मतदान का अधिकार भी चाहती है। जिससे अपेक्षित नियंत्रण रखने में सफल हो सकें। विदेशी कम्पनी भारत मे इसलिए की उतरना चाहती है क्योंकि उनकी नजर में यह क्षेत्र सम्भासनाओं से परिपूर्ण है। सरकारी भगेदारी 100 प्रतिशत से घटाकर 51 फीसदी करदी गयी हैं।ग्रमीण क्षेत्र एवं समाजिक क्षेत्र के विस्तार करने कीबात कँही गयी है। विदेशी बीमा कंपनी भारत मैं शाखाओं को स्थापित कर सकती है। यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि, कौन सी कम्पनी सफल हो सकती है,तो इसका सीधा–सीधा उत्तर है जो कम्पनी अपने ग्रहाकों को अधिक सुविधा प्रदान करेगी वह नागरिकों का विश्वास जीते में सफल हो सकेगी। विदेशी कम्पनियां का ऐसा मानाना है कि, जिस तरह चीन में बीमा क्षेत्र मे निजी क्षेत्र का प्रदेश के बाद कुछ समय पश्चात ही विदेशी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र

प्रत्येक रूप से खोल दिया गया था, इसी तरह से भारत में यह चमत्कार होने की आशा विदेशी कंम्पनियों रखती है। लेकिन भारत में परिस्थितियां भिन्न है, क्योकि अकेले भारतीय जीवन बीमा निगम की वर्तमान परिसम्पत्तियां 1,10,000 करोड़ रूपये से अधिक है ओर एक विशाल नेटर्वक के साथ साथ मानव तथा तकनीकी संसाधनों की कोई कमी नहीं है जबकि विदेशी कम्पनियों के पास नेटर्वक तथा मानव संसाधनों की कमी के साथ–साथ उनकी सफलता का विस्तार महानगरो तक सीमित है।

जीवन बीमा कंपनी के द्वारा बैंको मै भी निवेश किया गया है इलाहाबाद बैंक मै 13.5 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक मै 12.5 प्रतिशत , आई डी बी आई मै 29.82 प्रतिशत, सिंडिकेट बैंक मै 10.20 प्रतिशत, सेन्ट्रल बैंक मै 10.04 प्रतिशत, ऊको बैंक मै 9.80 प्रतिशत, केनरा बैंक मै 9.47 प्रतिशत, बैंक ऑफ इंडिया मै 9.77 प्रतिशत, विजया बैंक मै 8.15 प्रतिशत निबेश किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायक कंपनियां है भारतीय जीवन बीमा हाउसिंग फाइनेंस, भारतीय जीवन बीमा पेंशन फंड इत्यादि जबकि विदेशी कंम्पनियो का अपना विस्तार ग्रामीण क्षेत्र तक भी करना होगा जो कि अपने आप में एक बड़ी चुनौती है,क्योकि विदेशी कम्पनियों ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5% निश्चत् किया था, उसको भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भारत की विशाल नेटर्वक रखने वाली कम्पनियाँ भी ग्रामीण क्षेत्र मे अपना हिस्सा 3% तक ही पूरा कर सकी है।

बीमा क्षेत्र के विकास की अधिक आशये की जा रही है, तथा बाजार में इसकी पहुंच बढ़ने की पुरी–पुरी सम्भावनायें है, और भारतीय बीमा उघोग नई ऊँचाईयां को छूने तथा वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उत्पादकता स्तर के सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के बराबर रहने के लिये, हमे अभी पूर्ण समझ से कदम उठाने के लिये, तत्पर रहने की भी आवश्यकता है।

भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश की स्थति निम्न प्रकार रही है –

योजना	**कुल निवेश (करोडों में) वर्ष 2017**
प्रथम	184
दितीय	285
तृतीय	1530
चतुर्थ	2942
पंचम	7140
षष्ठम	12969
सप्तम	56097
अष्टम	170929
नवीं	394779
दसवीं	704720
ग्यारहवीं	1423055
बारहवीं	382479

इसी प्रकार भारतीय जीवन बीमा द्वारा सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनीयो में भी भारी मात्रा में निवेश किया गया है, जो इस प्रकार हैं–

भारतीय कम्पनियां	**निवेश (करोडोंमें) सितम्बर 2015**
इंडियन आयल	1783.6
गैल	1778
आईसीआईसीआई	1500
महिन्द्रा	824.7
भारतीय एयरटेल	631
वेदान्ता	478.5
एनटीपीसी	3849
बीपीसीएल	1242
ओएनजीसी	998
ग्रेसिम उद्योग	1077

समस्याएं

आज बडी से बड़ी बीमा कंम्पनियों द्वारा भी अपने ग्रहाकों को बीमारियों के खर्चे की प्रतिपूर्ति या बीमाधारी की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति को किये गये वायदे के अनुसार निर्धारित धनराशि को देने में अंड़गेबाजी का सहारा लेना आम बात होती जा रही है, और इसके लिये उपभोक्ताओं को न्यायालय की शरण में जाना मे जाना पड़ता है, और दूसरी ओर न्यायालीय प्रक्रिया अधिक जटिल,अधिक खर्चीली,समय की देरी और अन्य कहीं समस्याओं से दो चार होना पड़ता है।

आज भारतीय जीवन बीमा कंपनी बाजारवाद की ओर लगातार बढती जा रही हैं अनेकों योजनाओ के माध्यमों से अपने ग्रहको के पास पहुंच रही है ये उत्पाद इस प्रकार हैं (1)एनडाउमेट प्लान– जीवन आनन्द, जीवन लाभ, जीवन प्रगति, (2)सम्पूर्ण जीवन योजना– जीवन उमंग, (3)मनी बेक प्लान– बीमा श्री, जीवन शिरोमणि, जीवन तरूण, (4) टर्म इंश्योरेंस प्लान– अनमोल जीवन, अमूल्य जीवन (5) माइक्रो इन्सोरेंश प्लान– भाग्य लक्ष्मी इत्यादि हैं।

बीमा क्षेत्र की बेहत्तर तरक्की के लिये इन समस्याओं से उपभोक्ताओं को बचना होगा बीमा व्यवस्था में पारदर्शिता लानी होगी, वर्तमान में प्त्व। की जो व्यवस्थायें है, उन पर प्रभावी ढंग से अमल करना होगा, बीमा उघोग को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार के लिये सरकार को सब्सिडी की व्यवस्था करना समय की जरूरत बन गई है, हालांकि वर्तमान में सरकार कमजोर एवं निर्वलो के लिये जनश्री बीमा योजना (2000) किसान कार्ड धारकों हेतु व्यकितगत दुर्घटना बीमा योजना (2001) कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना (2001) आम आदमी बीमा योजना (2007) व राष्ट्रीय स्वस्थ्य बीमा योजना (2008) आदि योजनाऐ चलाई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं मे अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित कर वृद्धों, महिलाओं, छोटे कास्तकारों व दस्तकारों के लिये सरकारी सब्सिडी से याजनाओं को संचालित का बीमा क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

डाक जीवन बीमा योजना जो अभी तक केवल सरकारी व अर्द्धसरकारी क्षेत्र के कर्मियो तक तथा जीवन बीमा तक सीमित है इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि डाक विभाग की पहुंच भारत के कोन–कोन तक है इसका लाभ बीमा क्षेत्र को अतिशीघ्र उठाना चाहिए, जिससे सामाजिक सुरक्षा का

दायरा विस्तृत होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

निष्कर्ष

उपरोक्त अधययनके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि भारतीय जीवन बीमा कंपनी के होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता मिली है इससे वित्तीय संकट से निपटने में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता मिली है। भारतीय जीवन बीमा अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है।

सुझाव

1. भारत सरकार को दी जाने वाली वर्तमान 5 प्रतिशत सहायता में बढोतरी की जाएं।
2. भारतीय जीवन बीमा कंपनी का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए।
3. भारतीय जीवन बीमा कंपनी में निजी क्षेत्र की कंपनियों को अधिक से अधिक मौके दिये जाने की जरूरत है।
4. भारतीय जीवन बीमा कंपनी को बाजार अपने अधिक से अधिक उत्पाद देने की कोशिश करनीचाहिए।
5. भारतीय जीवन बीमा कंपनी को अपनी अधिक से अधिक शाखाओं का विस्तार विदेशों में करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

मिश्रा एण्ड (2008) हिमालय प्रकाशन नई दिल्ली,

दत्त एण्ड सुन्दुरम(2008) एस एण्ड चांद प्रकाशन नई दिल्ली,

इक योजना (2007) प्रकाशन भारत सरकार,

यूनिक (2008) प्रकाशन शंकरपुर, दिल्ली,

Life Insurence in India, opportunities challenges and strategic perspective, sage Publication.

Rajesh Prasanna - Valluation of Indian Life Insurance Companies

R.Haridas - Life Insurance in India, ISBN - 978-8177082524

Panda T.K., Acharayadebashis - The Life Insurance Industry in India. Current State and efficiency.